



पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 110/18

अनवान :

1. दयाराम पुत्र श्री कुम्भाराम जाति नाई निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।

—वादी

बनाम


1. कुम्भाराम पुत्र किरताराम जाति नाई निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. ताराचंद पुत्र किरताराम जाति नाई निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
3. मनोज पुत्री किरताराम जाति नाई निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
4. बिमला पुत्री किरताराम जाति नाई निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
5. ओबीसी बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक गांधीबड़ी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं इस्तकरार हक  
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 मलखेड़ा में वकीलवादी श्री राजेश बैनिवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 1 एसडीआर खाता सं० 17/15 के मु० न. 12 के किला न. 12, 13, 18, 19, 22, 23 मु० न. 16 के किला न. 9/1, मु० न. 17 के किला न. 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 22, मु० न. 25 के किला न. 1, 2, 9, 10, 12 की कुल 6.135 हैक्टर नहरी बारानी मय रास्ता में प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 तीनों को 1/3 — 1/3 बहिस्सा बराबर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। जावे। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपना हकत्याग कर दिया है। अतः त्याग किये गये हिस्सें पर पंजियन शुल्क वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राजकुमार कस्वा)  
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़